

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 581] No. 581] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 30, 2017/आषाढ़ 9, 1939 NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 30, 2017/ASADHA 9, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 18/2017- केंद्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 807(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 673(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में,--

(i) अनुसूची । – 2.5% में क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"182क	3102	खनिज या रसायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में
		उपयोग नहीं किया जाना है
182ख	3103	खनिज या रसायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग
		नहीं किया जाना है ।
182ग	3104	खनिज या रसायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग
		नहीं किया जाना है

(1)

4049 GI/2017

182घ	3105	खनिज या रसायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम में से दो या तीन उर्वरक
		तत्व अंतर्विष्ट हैं ; अन्य उर्वरक ; इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में या पैकेजों में,
		जिनका सकल भार 10 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप
		में उपयोग नहीं किया जाना है ";

- (ii) अनुसूची II 6% में क्रम सं. 66, 67, 68 और 69 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
- 3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 18/2017-Central Tax (Rate)

G.S.R. 807(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E) dated the 28th June, 2017, namely:-

2. In the said notification,-

(i) in Schedule I-2.5%, after serial number 182 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"182A	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be
		used as fertilizers
182B	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to
		be used as fertilizers
182C	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used
		as fertilizers
182D	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements
		nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets
		or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than
		those which are clearly not to be used as fertilizers";

- (ii) in Schedule II 6%, serial numbers 66, 67, 68 and 69 and the entries relating thereto shall be omitted.
- 3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 18/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 808(अ).—केन्द्रीय सरकार, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 710(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:--

2. उक्त अधिसूचना में,--

(i) अनुसूची । – 2.5% में क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"182क	3102	खनिज या रसायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग
		नहीं किया जाना है
182ख	3103	खनिज या रसायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग
		नहीं किया जाना है
182ग	3104	खनिज या रसायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग नहीं
		किया जाना है
182घ	3105	खनिज या रसायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम में से दो या तीन उर्वरक तत्व
		अंतर्विष्ट हैं ; अन्य उर्वरक ; इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में या पैकेजों में, जिनका
		सकल भार 10 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग
		नहीं किया जाना है ";

- (ii) अनुसूची I 6% में क्रम सं. 66, 67, 68 और 69 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
- 3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरय्]

मोहित तिवारी. अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No. 18/2017- Union Territory Tax (Rate)

- **G.S.R. 808(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:-
- 2. In the said notification.
- (i) in Schedule I-2.5%, after serial number 182 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"182A	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be
		used as fertilizers
182B	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to
		be used as fertilizers
182C	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used
		as fertilizers
182D	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements
		nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets
		or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than
		those which are clearly not to be used as fertilizers";

- (ii) in Schedule II 6%, serial numbers 66, 67, 68 and 69 and the entries relating thereto shall be omitted.
- 3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सं. 16/2017- एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 809(अ).—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. सं. 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

2. उक्त अधिसूचना में,--

(i) अनुसूची I – 5% में क्रम सं. 182 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

(1)	(2)	(3)
"182क	3102	खनिज या रसायनिक उर्वरक, नाइट्रोजनी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग
		नहीं किया जाना है
182ख	3103	खनिज या रसायनिक उर्वरक, फास्फेटी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग
		नहीं किया जाना है
182ग	3104	खनिज या रसायनिक उर्वरक, पोटाशी, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग
		नहीं किया जाना है
182घ	3105	खनिज या रसायनिक उर्वरक, जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम में से दो या तीन उर्वरक तत्व
		अंतर्विष्ट हैं ; अन्य उर्वरक ; इस अध्याय के माल, टिकियों या वैसे ही रूपों में या पैकेजों में, जिनका
		सकल भार 10 कि.ग्रा. से अधिक नहीं है, उनसे भिन्न, जिनका स्पष्ट रूप से उर्वरक के रूप में उपयोग
		नहीं किया जाना है ";

- (ii) अनुसूची II 12% में क्रम सं. 66, 67, 68 और 69 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।
- 3. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू] मोहित तिवारी, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2017

No.16/2017-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 809(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

- 2. In the said notification,-
- (i) in Schedule I 5%, after serial number 182 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"182A	3102	Mineral or chemical fertilisers, nitrogenous, other than those which are clearly not to be
		used as fertilizers
182B	3103	Mineral or chemical fertilisers, phosphatic, other than those which are clearly not to
		be used as fertilizers
182C	3104	Mineral or chemical fertilisers, potassic, other than those which are clearly not to be used
		as fertilizers
182D	3105	Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising elements
		nitrogen, phosphorus and potassium; other fertilisers; goods of this Chapter in tablets
		or similar forms or in packages of a gross weight not exceeding 10 kg; other than
		those which are clearly not to be used as fertilizers";

- (ii) in Schedule II 12%, serial numbers 66, 67, 68 and 69 and the entries relating thereto shall be omitted.
- 3. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2017.

[F. No. 354/117/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.